

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1079/2021/10-11/4172 भोपाल, दिनांक 8/12/22

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- रतलाम जिले में रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु
3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 095/2021-BHO/ दिनांक 25.08.2022

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में हुए उल्लंघन के संबंध में जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम की संक्षेपिका वन मण्डलाधिकारी रतलाम ने अपने पत्र दिनांक 30.08.2022 से उपलब्ध कराई गई है, छायाप्रति संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने वाले आवेदक संस्थान के अधिकारियों पर कार्यवाही करने हेतु राज्य शासन को अधिकार प्रदत्त नहीं है। प्रकरण में राज्य शासन से कार्यवाही करने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। वन विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः प्रकरण में चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1079/2021/10-11/4172
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8/12/22

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), उज्जैन, वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, हाथीखाना रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम



सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टेलीफैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 3574

रतलाम, दिनांक : 30-08-2022

प्रति,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

- विषय :- रतलाम जिले में रतलाम-बाजना-कुशलगढ मार्ग चौडीकरण / उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।
- सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1079 / 2021 / 10-11 / 2920 दिनांक 23-08-2022 एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रतलाम कापत्र क्र. / 3313 / टी.एस. / 2022-23 दिनांक 26-08-2022

-0-

विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि रतलाम-बाजना-कुशलगढ मार्ग चौडीकरण / उन्नयनीकरण प्रकरण में आवेदक संस्था लोक निर्माण विभाग, रतलाम द्वारा वन क्षेत्र पी-150 में मार्ग निर्माण बिना अनुमति लम्बाई 163 मीटर चौड़ाई 5.50 मीटर इस प्रकार 0.089 हेक्टेयर में सी. सी. मार्ग निर्माण होने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कार्य करने संबंधित अधिकारी का नाम पद आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप संक्षेपिका में तैयार कर संलग्न अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक / मा.चि. / 2022 /
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक :

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर उल्लंघन संबंधी संक्षेपिका प्रारूप आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
02. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

विधि

✓

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

9-9

कार्या. अ.प्र.भु.व.पं (भू.प्र.)

आपका क्रमांक

1756

मध्यप्रदेश, भोपाल

10/9/22

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के भाग (II) के उल्लंघन की जानकारी की संक्षेपिका

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की संक्षेपिका निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	बिन्दुवार प्रतिवेदन			
01	02	03			
1	परियोजना का नाम	रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग का उन्वनीकरण/चौड़ीकरण परियोजना			
2	वनक्षेत्र का नाम	वनमण्डल रतलाम, वनपरिक्षेत्र रतलाम, वनखण्ड साम्भरखो-एफ, वन कक्ष क्र. पी-150 में बिना अनुमति के मार्ग निर्माण कार्य किया गया है।			
3	उल्लंघन हेतु कार्य स्वीकृति देने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं स्वीकृति आदेश की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि	01 श्री मनोज कुमार सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग रतलाम			
4	कार्य क्रियान्वित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम	श्री रमेश भूरिया, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग सैलाना			
5	विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही एवं अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि	वनमण्डल रतलाम द्वारा परिक्षेत्र सहायक रतलाम श्री किशन सिंह तंवर एवं बीटगार्ड पलसोड़ी श्री बेनेडीग एन्थोनी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, तथा तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी रतलाम श्री ए.के. नागोरिया को स्पष्टीकरण जारी कर उल्लंघन संबंधी जानकारी प्राप्त कर उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद कराने पत्र जारी किया गया।			
6	उल्लंघन अवधि के दौरान वनरक्षक से वनमंडलाधिकारी स्तर तक के नाम एवं पदस्थापना अवधि	क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि
		01	श्री क्षितिज कुमार भा.व.से.	तत्कालीन व.म.अ.	04-08-2017 से 9-08-2018 तक
		02	श्री भगवती पवार	तत्कालीन उप व. म.अ.	02-09-2013 से 31-10-2017 तक सेवानिवृत्त
		04	श्री आजाद कुमार नागोरिया	तत्कालीन प्रभारी व.प.अ. रतलाम	01-02-2017 से 25-09-2017 तक
		05	श्री किशन सिंह तंवर	तत्कालीन वनपाल, परिक्षेत्र सहायक रतलाम	10-02-2014 से 31-07-2020 तक सेवानिवृत्त

		06	श्री बेनेडिक एन्थोनी	तत्कालीन बीटगार्ड पलसोड़	01-05-2013 से 20-02-2019 तक												
7	प्रकरण की संक्षिप्त टीप	<p>वनमण्डल रतलाम, वनपरिक्षेत्र रतलाम, वनखण्ड साम्भरखो-एफ, वन कक्ष क्र. पी-150 में बिना अनुमति के मार्ग निर्माण कार्य माह फरवरी 2017 से मई 2017 तक की अनुमानित अवधि में किया गया है। रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग लम्बाई 56.00 किमी. वर्ष 1980 का निर्मित हाकर वनक्षेत्र में 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत था। मार्ग के चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु वनक्षेत्र में लम्बाई 163 मीटर एवं चौड़ाई 5.50 मीटर सी.सी. मार्ग निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में:-</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>उन्नयन कार्य में वनक्षेत्र में उल्लंघित लम्बाई</td> <td>163meter</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>वनक्षेत्र में उन्नयन कार्य अन्तर्गत उल्लंघित कार्य का क्षेत्रफल</td> <td>163X5.50=896.50 Sq.meter</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>वनक्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य का क्षेत्रफल</td> <td>163X3.75 =611.25 Sq.meter</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>शुद्ध उल्लंघित क्षेत्रफल</td> <td>896.50-611.25=285.25 Sq.meter</td> </tr> </table>				1	उन्नयन कार्य में वनक्षेत्र में उल्लंघित लम्बाई	163meter	2	वनक्षेत्र में उन्नयन कार्य अन्तर्गत उल्लंघित कार्य का क्षेत्रफल	163X5.50=896.50 Sq.meter	3	वनक्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य का क्षेत्रफल	163X3.75 =611.25 Sq.meter	4	शुद्ध उल्लंघित क्षेत्रफल	896.50-611.25=285.25 Sq.meter
1	उन्नयन कार्य में वनक्षेत्र में उल्लंघित लम्बाई	163meter															
2	वनक्षेत्र में उन्नयन कार्य अन्तर्गत उल्लंघित कार्य का क्षेत्रफल	163X5.50=896.50 Sq.meter															
3	वनक्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य का क्षेत्रफल	163X3.75 =611.25 Sq.meter															
4	शुद्ध उल्लंघित क्षेत्रफल	896.50-611.25=285.25 Sq.meter															
8	वनसंरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के परिपेक्ष्य में क्षेत्र में हुआ कार्य एवं कार्य की वर्तमान स्थिति	<p>लोक निर्माण विभाग रतलाम द्वारा वनक्षेत्र पी-150 में सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य बिना अनुमति के कार्य पूर्ण किया गया है। तथा शेष वनक्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये है।</p>															

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (पृ.क्र, 01से.....तक)


 वनमण्डल अधिकारी
 रतलाम

(1)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp

email: eepwdratlam@mp.nic.in

Phone- 07412-270437] Fax -232445

क्रमांक 3313 / टी.एस. / 22-23 /

रतलाम दिनांक 26-08-2022

प्रति,

✓ वनमण्डलाधिकारी
वन विभाग रतलाम

विषय— रतलाम जिले में रतलाम-बाजना-कुलशगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने का बत।

सन्दर्भ— प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल पत्र क्रमांक/एफ-5/1079 /2021/10-11/2920 भोपाल दिनांक 23.08.2022

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत रतलाम जिले में रतलाम-बाजना-कुलशगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य हेतु संदर्भित पत्र से चाही गई निम्नानुसार जानकारी संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

1. संबंधित उपयंत्री को जारी कारण बताओं सूचना पत्र का स्पष्टीकरण।
2. कार्यादेश की छायाप्रति एवं कार्यादेश जारी करने वाले अधिकारी का नाम :-
(श्री मनोज कुमार सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोनिवि संभाग रतलाम)

संबंधित उपयंत्री को भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी की पुर्नावृत्ति ना हो, इस संबंध में अंतिम चेतावनी दी गई।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


861
कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

पृ. क्रमांक...../टी.एस./22-23

रतलाम दिनांक.....

प्रतिलिपि:- अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सैलाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



861
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

TRUE COPY

(1)
DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

(2)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.W.D. DIVISION RATLAM

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email eepwdrallam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437 Fax -232445

No. _____ /SAC/ 2016-17

Ratlam Dated :-

WORK ORDER

To,

Ashish Infracon Pvt. Ltd.
602, Indraprasth Corporate,
Opp. Shell Petrop Pump – Opp. Vinus Atlantis,
Prahladnagar, Ahmedabad - 380015
Email: bhumika.patel@ashishinfracon.com
bijendra.patel@ashishinfracon.com
Phone – 9099915590/91

- Sub: 1) Upgradation of Ratlam-Bajna-Kushalgarh Road (Upto Rajasthan Border)
Length 56.00 Km. Online Tender No. – 27635, NIT No. 03 Date 25-04-2016
2) PAC – Rs. 10974.07 Laes
3) Sanction Rate 24.42% Below Road SOR W.E.F. 03-11-2014

Ref:- Agreement No. 32/ 2016-17

As you have submitted the performance guarantee & addl. performance guarantee executed the agreement as on today i.e. 10/08/2016 with the undersigned on behalf of the governor of M.P. so you are hereby requested to start the work in consultation with the Sub Divisional officer concern and finish the same with in stipulated time limit of 24 months including rainy season from the date of issue of this memo & as per tender agreement.

Encl: Copy of agreement.

S/-
Executive Engineer
P.W.D. Division
Ratlam – 457 001 (M.P.)

Ratlam Dated :- 10/8/16

Encl. No. 2066 /SAC/ 2016-17

Copy forwarded to :-

1. The Chief Engineer, P.W.D. Ujjain Zone .
2. The Collector district Ratlam
3. The Employment officer, District Ratlam
4. The Minimum wages inspector, labour Sub-Division Ratlam
5. The Sub-Divisional officer P.W.D. Sub-Division Sailana & Ratlam km 1 to 10 for information and necessary action. The date of commencement and completion of work may be intimated to this office. The agreement No 32/ 2016
6. Shri C. P. Dubey & Ramesh Sub-Engineer, Through S.D.O. Division Sailana.
7. Auditor Sailana & Ratlam km 1 to 10 of this office.

Encl: Copy of schedule

Executive Engineer
P.W.D. Division
Ratlam – 457 001 (M.P.)

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

प्रतिलिपि, नं. 642 dt 17-8-2016

माननीय विधायिना

महोदय, श्रीमती संगीता चौरव

विधायक, खैराना जिला, रतलाम की ओर अल्पसंख्यक वर्गों

को प्रतिनिधित्व किया जाता है कि रतलाम का जिला कुशलगढ़

मार्ग नं. सी. टी. नं. 17 से एस. डी. नं. 1 का कर्मचारी द्वारा

पारल हुआ है जो सी. टी. की ओर अल्पसंख्यक वर्गों

Encl. No. 2066
 Date: 16-8-16
 P.W.D. DIVISION RATLAM

(3)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp

email: eepwdratlam@mp.nic.in

Phone- 07412-270437] Fax -232445

रतलाम-याजना-कुशलगढ़ मार्ग लंबाई 56.00 कि.मी. वर्ष 1980 का निर्मित होकर वनक्षेत्र में 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत था। मार्ग के चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु वन क्षेत्र में लंबाई 163 मीटर एवं चौड़ाई 5.50 मीटर सी.सी. मार्ग निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में :-

- 1) उन्नयन कार्य में वन क्षेत्र में उल्लंघित लंबाई - 163 मीटर
- 2) वन क्षेत्र में उन्नयन कार्य अंतर्गत उल्लंघित कार्य का क्षेत्रफल - $163 \times 5.50 = 896.50$ वर्गमीटर
- 3) वन क्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य का क्षेत्रफल - $163 \times 3.75 = 611.25$ वर्गमीटर
- 4) शुद्ध उल्लंघित क्षेत्रफल - $896.50 - 611.25 = 285.25$ वर्गमीटर

Kamdar

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम

TRUE COPY

(1)
DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

(4)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग

संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp

email: eepwdratlam@mp.nic.in

Phone- 07412-270437, Fax -232445

क्रमांक 1847/स्थापना/21-22

रतलाम, दिनांक 06/05/2022

कारण बताओं सूचना-पत्र

प्रति,

श्री रमेश भूरिया
उपयंत्री
लोक निर्माण विभाग
उपसंभाग सैलाना

विषय:- संभाग अंतर्गत रतलाम-बाजना-कुलशगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि में निर्माण कार्य के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत रतलाम-बाजना-कुलशगढ़ मार्ग निर्माण के दौरान आपके द्वारा वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी-150 में बिना अनुमति के पूर्व विद्यमान चौड़ाई 3.75 मी. से अधिक चौड़ाई 5.50 मी. एवं लंबाई 163 मीटर में सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य सम्पादित किये जाने का कृत्य किया गया है। जबकि आपको उक्त मार्ग में वनक्षेत्र होने की सूचना तत्काल विभाग को दी जानी थी एवं कार्य वनक्षेत्र के पूर्व यथास्थिति में रोक दिया जाना था, ताकि विभाग द्वारा वनक्षेत्र में कार्य किये जाने की विधिवत अनुमति के संबंध में प्रक्रिया का पालन किया जाता।

आपके इस कृत्य ने अपने आपको को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बना लिया है। क्यों न आपके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम -1965 के नियम 3 के तहत कार्यवाही एवं आगामी 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही की जावे।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

86
06/05/22

कार्यपालन यंत्री

/लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

Received
by
06/05/2022

TRUE COPY

(2)
DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

प्रति,

कार्यपालन यंत्री महोदय,
लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

विषय:- संभाग अंतर्गत रतलाम-बाजना-कुलशगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि में निर्माण कार्य के संबंध में जारी कारण बताओं सूचना पत्र का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1847/स्था/22-23 दिनांक 06.05.2022

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि स्पष्ट है कि रतलाम-बाजना-कुलशगढ़ मार्ग लोक निर्माण विभाग का वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित होकर मुख्य जिला मार्ग की श्रेणी का अंतर्राज्यीय मार्ग है, जिसमें नवीन निर्माण कार्य न करते हुए केवल उन्नयन कार्य वर्ष 2017 में किया गया है। जबकि वन विभाग द्वारा वर्ष 2018 में कक्ष क्रमांक पी.एफ.-150 में 0.089 हेक्टेयर वनभूमि होने की जानकारी दी गई। यदि उक्त कक्ष में विभाग को वनक्षेत्र की जानकारी पूर्व से होती तो, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह त्रुटि नहीं की जाती एवं कार्य को तुरंत बंद कर कार्य करने की विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जाता। वनक्षेत्र होने की जानकारी प्राप्त होने पर विधिवत अनुमति प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए, आवेदन किया गया है। अनुमति का प्रकरण प्रचलन में है।

मेरे द्वारा भविष्य में बिना अनुमति के वनक्षेत्र में कार्य कराने की पुर्नार्वृत्ति नहीं होगी। अतः मुझे जारी किए गए कारण बताओं सूचना पत्र का स्पष्टीकरण आपकी ओर प्रस्तुत है।

TRUE COPY
DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

(रमेश भूरिया)
उपयंत्री
लो.नि.वि. उपसंभाग सैलाना

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, रतलाम
सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

7

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

“कारण बताओं सूचना पत्र”

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1523
प्रति,

रतलाम, दिनांक : 10/5/18.....

श्री बेनेडिक्ट एंथोनी,
वनरक्षक बीट पलसोड़ी
वन परिक्षेत्र, रतलाम

द्वारा :- वन परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र रतलाम।
विषय :- कारण बताओं सूचना पत्र।
संदर्भ :- वन परिक्षेत्राधिकारी, रतलाम का पत्र क्रमांक / 525 दिनांक 02-03-18

—0—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख है कि आपकी बीट पलसोड़ी वन कक्ष क्रमांक पी-150 में पूर्व प्रचलित चौड़ाई 03 मीटर रतलाम-बाजना मार्ग की वनक्षेत्र में चौड़ाई 5.50 मीटर साईड सोल्डर घाट कटिंग दो-दो मी. लम्बाई 163 मीटर वनक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण रोड़ के स्थान पर नवीन सी.सी. रोड़ का निर्माण कार्य किया गया, जो म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ-5/6/05/10-3 दिनांक 10 जून 2003 के अनुसार (1) वनक्षेत्र से गुजर रहे मार्गों की वर्तमान चौड़ाई में ही कार्य किया जावेगा। (2) किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जावेगा। (3) वनक्षेत्र को कहीं पर भी तोड़ा नहीं जावेगा। इस विभाग की बगैर स्वीकृति के निर्माण किया गया है, जो गैर वानिकी कार्य की श्रेणी में होकर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस संबंध में आपके द्वारा आज दिनांक तक आपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया है। ओर ना ही निर्माण करने वाली एजेन्सी के विरुद्ध आज पर्यन्त कोई कार्यवाही की गई है। इस कार्यालय द्वारा अवगत कराने पर मात्र पंचनामा बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जो आपके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम प्रावधानों के विपरित होकर दण्डनिय है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1960 के नियम अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुरूप आपका कार्य शासन विरुद्ध किये जाने से एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जावे एवं आपके विरुद्ध अनुशानात्क कार्यवाही की जावे।

इस संबंध में आप अपना कारण बताओं सूचना पत्र का प्रतिउत्तर एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, अन्यथा समयावधि पश्चात् एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया जावेगा।

TRUE COPY

पी.जी. फुलझेले
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1524
प्रतिलिपि -

DIVISIONAL FOREST OFFICER, रतलाम, दिनांक : 10/5/18.....
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

- 01 वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र, रतलाम की ओर लेख है कि संबंधित को एक प्रति वितरित कर प्राप्ति अभिस्वीकृति दिनांक सहित इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
- 02 वन परिक्षेत्राधिकारी, रतलाम की ओर सूचनार्थ।
- 03 स्थापना शाखा, सामान्य वनमण्डल, रतलाम की ओर सूचनार्थ।

पी.जी. फुलझेले
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम



सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1140.1
प्रति,

रतलाम, दिनांक : 03-05-2018

श्री ए.के. नागोरिया,
वन परिक्षेत्राधिकारी, (या प्रसाद रतलाम)
सैलाना

- विषय :- रतलाम बाजना कुशलगढ़ रोड़ (राजस्थान सीमा तक) लम्बाई 36 कि.मी. निर्माण कार्य बाबत।
संदर्भ :- वन परिक्षेत्राधिकारी, रतलाम का पत्र क्र./मा.चि./2017/2209 दिनांक 15-12-2017 एवं 525 दिनांक 21-03-2018

-0-

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख है कि रतलाम बाजना मार्ग बीट पलसोड़ी वन कक्ष क्रमांक पी-150 से गुजरता है। वन परिक्षेत्र, रतलाम को आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में जो रोड़ 24-10-1980 के पूर्व मार्ग होने से गत वर्ष तक लगातार रोड़ का मरम्मत (मेटेनेंस) कोलतार रोड़ निर्माण कार्य कई बार किया जा चुका है, जो किया जा सकता है। किन्तु उक्त रोड़ की पूर्व चौड़ाई 3 मीटर लगभग डामरीकरण रोड़ को तोड़ कर वर्तमान सी.सी.रोड़ 5.50 मीटर दो-दो मीटर साईट सोल्डर कार्य बिना इस विभाग के निर्माण होना पाया गया है। जो म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/6/05/10-3 दिनांक 10 जून 2003 के अनुसार (1) वनक्षेत्र से गुजर रहे मार्गों की वर्तमान चौड़ाई में ही कार्य किया जावेगा। (2) किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जावेगा। (3) वनक्षेत्र को कही पर भी तोड़ा नहीं जावेगा। किन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा 16.8 मी. लम्बाई में चौड़ाई 5.50 मी. बढ़ाई गई है, एवं दो-दो मीटर साईड सोल्डर घाट कंटिंग कर निर्माण कार्य किया गया है। जिसे आपके द्वारा इस कार्यालय को सूचित किये बिना निर्माण कार्य होने दिया जिससे आवेदक विभाग द्वारा बिना वन संरक्षण, 1980 के तहत स्वीकृति के उक्त गैर वानिकी कार्य किया गया है, जो उल्लघन की श्रेणी में आता है। इस संबंध में आपने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही की जाकर कदाचार की श्रेणी में कार्य किया गया है।

अतः आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1140.1
प्रतिलिपि :-

TRUE COPY

रतलाम, दिनांक : 03-05-2018

01 मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम



प्रति,

रतलाम दि. 22.05.2018

श्री मान् वन मंडलाधिकारी महोदय
सामान्य वनमण्डल रतलाम (म. प्र.)
द्वारा:- योग्यमार्ग
विषय:- कारण बताओ सुचना पत्र का प्रति उत्तर
संदर्भ:- आपका कारण बताओ सुचना पत्र क्र./मा.चि /2018/1521 दि.10.05.2018
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि सब रेंज रतलाम अंतर्गत बीट पलसोडी वनकक्ष क्रमांक पी-150 में पूर्व प्रचलित रतलाम बाजना मार्ग की वनक्षेत्र में चौड़ाई 5.50 मीटर साईड सोल्डर घाट कटिंग दो-दो मीटर लंबाई 163 मीटर वनक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण रोड के स्थान पर नवीन सी.सी रोड निर्माण कार्य किया गया इसके संबंध में श्री मान जी द्वारा कारण बताओ सुचना पत्र संदर्भित पत्र से जारी किया गया है।

अतः मैरा श्री मान जी से निवेदन है कि रतलाम बाजना कुशलगढ रोड (राजस्थान सीमा तक) लंबाई 56 की.मी. मार्ग बीट पलसोडी के वन कक्ष पी-150 से गुजरता है। जो की रोड़ दिनांक 24.10.1980 के पूर्व भी लगभग 75 वर्ष से अधिक समय से बना हुआ, होकर चालू रोड़ हे। लोक निर्माण विभाग द्वारा संन 1980 के पूर्व से गतवर्ष तक समय-समय पर मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य कई बार किया जाता रहा है। निर्माण ऐजेंसी द्वारा डामरीकरण एवं रोड़ साईड की पट्टियों पर सी.सी. रोड़ निर्माण किया गया । जिसमें वन क्षेत्र से गुजर रहे मार्ग की पूर्व से चौड़ाई के अनुसार ही वर्तमान चौड़ाई में कार्य किया गया है। इस कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष की कटाई नही हुई एवं न ही किसी प्रकार की वन क्षेत्र में तोडफोड़ की गई । इस संबंध में मेरा प्रतिउत्तर श्रीमान् की और प्रेषित है। मुझ प्रार्थी के कारण बताओ सुचना पत्र को मान्य करते हुए कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें। मैं श्रीमान जी का आभारी रहूंगा।



प्रार्थी

12/6/18 (किशनसिंह तंवर)
(परिक्षेत्र सहायक रतलाम)

864
सूचना: श्रीमान वनमंडलाधिकारी महो. रतलाम (सा.)
की और प्रार्थी प. स. रतलाम का कारण बताओ
सुचना पत्र व्यापक प्रेषित है

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERMINAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

वन परिक्षेत्राधिकारी
रतलाम (म.प्र.)

12/6



// कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी सैलाना //

रतलाम बांसवाड़ा रोड़ सैलाना रतलाम (म.प्र.)

टैलीफोन नं. 07413-279084

E-mail Address - Rotsailana@mp.gov.in



क्रमांक / 2018 / 5345

सैलाना, दिनांक : 06-07-2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय
सामान्य वनमण्डल रतलाम

विषय:- रतलाम बाजना कुशलगढ़ रोड़ (राजस्थान सीमा तक) लम्बाई 36 कि.मी. निर्माण कार्य बाबत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2018/1401 दिनांक 03-05-2018।

-- 00 --

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे अतिरिक्त प्रभार की परिक्षेत्र रतलाम के अंतर्गत रतलाम बाजना कुशलगढ़ मार्ग बीट पलसोडी वनकक्ष क्रमांक पी-150 से गुजरता है। उक्त मार्ग 24-10-1980 के पूर्व का होकर अंतराज्जीय मार्ग की पूर्व स्थिति 12 मीटर से भी अधिक चौड़ाई में निकला हुआ था जिस पर 04 मीटर चौड़ाई में डामरीकरण कोलतार रोड था। मेरे परिक्षेत्र रतलाम के प्रभार अवधि 25.09.2017 तक बगैर कोई खुदाई/खनन के सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण हुआ है, मार्ग में 25.09.2017 तक कोई घाट कटिंग कार्य नहीं हुआ था ओर ना ही इस बाबत् कोई सुचना या प्रतिवेदन बीटगार्ड श्री एन्थोनी या परिक्षेत्र सहायक श्री किशनसिंह तंवर नहीं दी गयी है। पूर्व से तैयार आवागमन मार्ग पर ही रोड निर्माण ऐजेंसी द्वारा 5.50 मीटर चौड़ाई में सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण किया गया है, मेरे प्रभार अवधि 25.09.2017 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ। मैंने अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता से बगैर किसी लापरवाही के निर्वहन किया है।

अतः श्रीमान की सेवा में स्पष्टीकरण सादर प्रेषित है।



वन परिक्षेत्र अधिकारी
सैलाना

क्रमांक / 2018 /

सैलाना / दिनांक-07-2018

प्रतिलिपि,

01- श्रीमान मुख्य संरक्षक महोदय उज्जैन वृत्त उज्जैन की सेवा में सादर प्रेषित है।

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सैलाना

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम



सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2018/.../220

रतलाम, दिनांक : 9-03-2018

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी,
वन परिक्षेत्र,
रतलाम

विषय :- रतलाम बाजना कुशलगढ़ रोड़ (राजस्थान सीमा वन) लम्बाई 56.00 कि.मी. निर्माण कार्य बाबत।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./2017/3940 दिनांक 04-12-2017 एवं आपका पत्र क्रमांक/2180 दिनांक 08-12-2017 एवं 525 दिनांक 21-03-2017

-0-

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख है कि आपके परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक पी-150 में पूर्व निर्मित 3 मीटर डामर रोड़ को नष्ट कर 5.50 मीटर सी.सी. रोड़ एवं दो-दो मीटर साईड सोल्डर घाट कटिंग कर निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, रतलाम द्वारा किया वर्ष 2017 में किया गया है। किन्तु परिक्षेत्र सहायक रतलाम एवं बीटगार्ड पलसोड़ी को आपके पत्र क्रमांक/218 दिनांक 06-02-2017 से जानकारी चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर आपके प्राप्त हो चुका होगा इस संबंध में आपके द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं इस कार्यालय को तीन माह बाद प्रतिवेदन भेजने का क्या कारण रहा है। इस संबंध में आप वन संरक्षक अधिनियम 1980 की धारा 2 सी भाग II उल्लंघन की जानकारी संक्षेपिका निर्धारित प्रारूप मय फोटोग्राफ के एवं प्रकरण दोषी कर्मचारियों सहित वनक्षेत्र में कितनी हानि हुई का आंकलन कर तीन दिवस में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न :- प्रपत्र

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक/मा.चि./2018/.../220

रतलाम, दिनांक : 9-03-2018

प्रतिलिपि :-

01 उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल, रतलाम की ओर लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक/3940 दिनांक 04-12-2017 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही कर प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करें।

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम